

FORM No. III

APP
Ctrl

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर


मुकाम

बबलु सिंह बनाम राज सरकार
किस्म मुकदमा 18 थारा 136 नं० 162/25 सब

तारीख दुवम	दुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	कम्बर व तारीख अहकाम जो दुस दुवम की तारीख में जारी हुए
	<p><u>28/11/2025</u></p> <p>प्राची बबलु सिंह पुत्र शंकर सिंह मरा दि० 26/11/25 को न्यायालय राजा में प्रा०पत्र पेश किया है कि ग्राम राजन भाण्डेरा के खाता सं. 38 में निर्दिष्ट दि० 28/10/25 को शुद्ध किया जा चुका है। लेकिन प्राची के जन्म संख्या 61 व 62 से शुद्ध होने से यह गया प्रकरण में खाता सं. नमा 60 पु. 179 तथा खाता सं. नमा 61 पु. 178 में दर्ज नाम गोरधन सिंह पुत्र शंकर सिंह एजप किया जाकर उसके स्थान पर बबलु सिंह पुत्र शंकर सिंह दर्ज किया जाने प्रा०पत्र पर पहचानी हलका द्वारा जांच रिपोर्ट में पची निम्न प्रकार पेश की गई। आज दि० 28/11/25 को शीमान उपज्वर अधिकारी महोदय के मौखिक आदेश व प्राची बबलु सिंह पुत्र शंकर सिंह द्वारा दिये गये प्रा०पत्र में पाया गया है कि राजन ग्राम भाण्डेरा के खाता सं. 38 प्राची का नाम शुद्ध किया जा चुका है। व खाता सं. 61 व 62 रह गया है। शीमान जी प्राची का नाम खाता सं. 38 में प्राची का नाम अय</p>	

गोरधनसिंह शंकरसिंह राजपुत को
जगह सुद करके बबलु सिंह 510
शंकरसिंह जाति राजपुत किा जा चुका
है। व राजन्व ग्राम भांडेरा के जगहा
सं. 61 व 62 में प्राची का नाम
गोरधन सिंह पुत्र शंकरसिंह जाति
राजपुत है। जिसे भी पुर्नमेदिनात
24/9/35 को दी गई जाँच रिपोर्ट के
मुताबिक सुद बिया जाना उचित
प्रति होता है। पुर्न डी गई जाँच
रिपोर्ट में बिवरण निम्न है।

स्व. शंकरसिंह



श्रीमान जी स्व. शंकरसिंह के चार पुत्र
होना बताया है। लोगो ने बताया की
गौव में रामसिंह को गोरधन सिंह के
नाम से बुलाया जाना बताया गया
अर्थात् रामसिंह ही गोरधन सिंह है।
जो एक ही है। श्रीमान जी बबलुसिंह
को भी छगनसिंह के नाम से बताया
गया। लोगो ने बताया कि बबलुसिंह
के छः डुगली है। जिन कारण गौव में
लोग उत्तमो छगनसिंह के नाम से
जानते है। अर्थात् बबलुसिंह व छगनसिंह
एक ही व्यक्ति है। श्रीमान जी द्वारा जारी
गई रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु सादर
पेश है।

अपने

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
दुकम की तामील
में जारी हुए

दुकम या कारवताही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
दुकम की तामील
में जारी हुए

पत्र एवं चरमारी हक्का द्वारा पैदा
रिपोर्ट तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित
दि. 28/10/25 का अवलोकन
किया गया बबलु सिंह व छगन सिंह
को ली व्यापित होना प्रतित होता है।
आदेश दि. 28/10/25 में गोखन सिंह पुत्र
शंकर सिंह हजफ भिज जाकर बबलु सिंह
को व्यापित हो जावेदा घोषित
किया गया था उक्त निर्णय के बाध्या
एक ग्राम भावेडा के व्याता सं. नया
62 पु. 179 एक्स न. 1030 रकबा 00.160
में दर्ज नाम गोखन सिंह पुत्र शंकर सिंह
एवं खाता सं. नया 61 पु. 178 में दर्ज
नाम गोखन सिंह पुत्र शंकर सिंह देव्याय
एवं गोखन सिंह पुत्र शंकर सिंह का नाम
हजफ भिज जाकर उक्ते व्यापत शुद्ध
नाम बबलु सिंह पुत्र शंकर सिंह दर्ज
किया जावे। तहसीलदार बांड़ी कुई
निपानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल
दरामत कर मेरे द्वारा उक्त निर्णय
आज दि. 28/11/25 खुले न्यायालय में
शुनान्य गमन प्रकरण दर्ज राशि 00 रु
उमाट होकर बाद तकमील दाखील
कर ही है।

28/11/25
तहसीलदार
बांड़ी कुई

पुत्र शंकर सिंह राज
ह हके बबलु
जाती राजपुत
मय ग्राम भावेडा
62 में प्राची क
के पुत्र शंकर
1 जिले श्री
को दी गई जा
उक्त व्यापत
ग है पुर्व
निर्णय नि
शंकर सिंह
↓
क्या
(5)